फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

हिमाशु बनाम **गोरीशंकर**

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट. नम्बर 26 सन–2019

तरीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म का तामील में जारी हुए
13.03.2019	प्रार्थी की और से जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र पेश होने पर एक तरफा बहस प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अभिभाषक सुनी गई व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः आगामी तिथि तक अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 इस आश्य की जारी की जाती है कि वे विवादित आराजी रोही मौजा चक 15 जेएसएन बी के खाता संख्या 29/43 की कुल 2.1502हैक्ट भूमि की रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे यदि इस सम्बध में अप्रार्थीगण को कोई एतराज हो तो निधारित तिथि पर न्यायालय मे असालतन या वकालतन उपस्थित आकर अपना पक्ष प्रस्तुत करे अन्यथा वाद पत्र के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा को स्थाई किया जा सकता है प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस से तलब किया जावे व उक्त आदेश जारी होने के पश्चात तीन दिवस के अन्दर तलबी रजिस्टर्ड रसीद प्रार्थी अभिभाषक आवश्यक तौर पर पेश करे पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थीगण दिनांक 02.05.2019 को पेश हो। उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर	
28/6/19	पत्रावली वकील वादी व वादी स्वयं के प्रार्थना पत्र पेश करने पर पेशी दी गई वकील वादी व वादी ने निवेदन किया की आज पत्रावली का आदेश में रात्रीमा हो गया की इसलिये O.T.A नही चलाना चाहते है रद्दीन लगाया जाते। वादी के द्वारा दिया प्रार्थनापत्र वादी वकील के कारण रद्दीन किया जाता है पत्रावली दरिफ्त फैसल है। उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर	रोशनी 23/4/19

Scanned with CamScanner